न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

प्रार्थना–पत्र संख्या :–169 / 2017 दायर दिनांकः 27.12.2017

GCMS NO:- 2017/358

पीठासीन अधिकारीः– शत्रुघ्न सिंह गुर्जर

1. शोजीलाल आत्मज सुवा जाति मीना निवासी गंभीरा तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0

–प्रार्थी–

बनाम

1. राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0
2. गोरू आत्मज श्री बरधा जाति माली निवासी गंभीरा तहसील नैनवां जिला बून्दी
3. नन्दकिशोर आत्मज श्री बख्तावरा जाति खाती निवासी ग्राम गंभीरा तहसील नैनवां जिला बून्दी

–अप्रार्थीगण–

प्रार्थना पत्रः– अन्तर्गत धारा 251 (क) आर.टी.एक्ट

उपस्थितिः–

प्रार्थी की ओर से वकील श्री सत्यनारायण लवानिया एवं श्री लोकेश लवानिया।

अप्रार्थीगण की ओर से वकील श्री शंभूलाल नागर।

निर्णय दिनांक 04.01.2023

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम गंभीरा पटवार मण्डल गंभीरा तहसील नैनवां की जमाबंदी संख्या नयी 205 सम्वत् 2072–2075 की कृषि भूमि खसरा संख्या 2274 रकबा 7 बीघा 16 बिस्वा भूमि स्थित है। उक्त वर्णित कृषि भूमि का प्रार्थी अन्य सह खातेदारों के साथ सह खातेदार आसामी के रूप में दर्ज और उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि पर निरन्तर निर्वाध रूप से शांति पूर्वक काबिज काश्त चला आ रहा है। उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि के पूर्वी साईड में खसरा संख्या 2275 भूमि है जिसका खातेदार गौरू आत्मज बरधा जाति माली निवासी गंभीरा है एवं उत्तरी साईड में 2276 भूमि स्थित है जिसका खातेदार रामकिशोर आ0 बख्तावरा आदि जाति खाती निवासी गंभीरा के हैं। प्रार्थी का अपनी कृषि भूमि खसरा संख्या 2274 पर जाने का एक मात्र वर्षों दराज पुराना रास्ता उपरोक्त वर्णित दोनों खातेदारों की भूमि के अड़वा खसरा संख्या 2277 में होकर रास्ता निकल रहा है। जो उत्तर से दक्षिण दिशा में आते हुये प्रार्थी के खेत खसरा संख्या 2274 में जाता है। प्रार्थी इस 2277 में स्थित रास्ते के बीचों बीच से होकर अपने गाड़ी बैल, ट्रैक्टर ट्रोली और अन्य कृषि उपकरण ले जाता है। परन्तु विगत कई दिनों से उपरोक्त वर्णित खसरा संख्या 2276 एवं 2275 के दोनों खातेदारान जबरन अवैधानिक एवं अनाधिकृत रूप से जबरन खसरा संख्या 2277 में होकर निकल रहे रास्ते को बंद करने पर आमादा है। जिससे प्रार्थी को अपने खेत खसरा संख्या 2274 पर जाना मुश्किल हो गया है। यदि दोनों खातेदार रास्ते को वंद कर देते हैं तो प्रार्थी को अपने खेत खसरा संख्या 2274 पर खेती करना मुश्किल हो जायेगा और प्रार्थी को भूखों मरने की स्थिति पैदा हो जायेगी तथा प्रार्थी का खेत पड़त ही रह जायेगा और उस पर कोई फसल की पैदावार भी नहीं होगी। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में फोटोकॉपी जमाबंदी एवं नक्शे की फोटोकॉपी पेश की।

प्रार्थना पत्र में न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 14.06.2016 से निर्णय पारित कर रास्ता कायम करने के आदेश दिये गए। न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 14.06.2016 के विरूद्ध माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय कोटा में अपील की गई, जिसके निर्णय दिनांक 08.11.2017 द्वारा इस न्यायालय का निर्णय दिनांक 14.06.2016 निरस्त किया गया। तथा प्रकरण पक्षकारान का सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2023.06.28 16:26:51 IST
Reason: SelfAttested

माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के आदेश की अनुपालना में प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर किया जाकर पक्षकारान को सुनवाई हेतु तलब किया गया।

अप्रार्थीगण संख्या 2,3 ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि प्रार्थी के खेत खसरा संख्या 2274 पर गाडी बैल पेदल ट्रेक्टर ट्रोली से आने जाने का वर्षो दराज पुराना रास्ता खसरा संख्या 2165 बंजड भूमि से दक्षिण तरफ होता हुआ खसरा संख्या 2176 में स्थित गडार से पूर्वी

उपखण्ड अधिकारी
नैनवा (बून्दी)

स्थित खसरा संख्या 2161,2160,2159 में से उत्तरी साईड से होकर अपने खेत खसरा संख्या 2274 पर वर्षों दराज पूर्व से स्थित है। जिस पर से ही होकर प्रार्थी अपने खेत खसरा संख्या 2274 पर निरन्तर निर्बाध रूप से गाडी बैल पेदल ट्रेक्टर ट्रोली से आ जा रहा है। उक्त रास्ते को मीना का झौपडा से खेजडा की गाडा की गडार के नाम से जाना जाता है। वादी ने मौके की वास्तविक स्थिति के विपरीत अपना प्रार्थना पत्र दुर्भावना पूर्वक पेश होने से खारिज होने योग्य है। यह कि अप्रार्थीगण के खातेदारी कब्जे काश्त के खेत खसरा संख्या 2275,2276 में आज दिन तक कभी भी किसी तरह से रास्ता नही रहा है। प्रार्थी इस प्रार्थना पत्र की आड़ में नवीन रास्ता अवैध अनाधिकृत रूप से दर्ज करवाना चाहता है जिसका प्रार्थी को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है।

रास्ता दिये जाने के सम्बन्ध में तहसीलदार नैनवां से रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार नैनवां से प्राप्त रिपोर्ट क्रमांक 1610 दिनांक 14.09.2021 पर वकील अप्रार्थी ने आपत्ति जाहिर करते हुए पुनः उभयपक्षकारान की उपस्थिति में वैकल्पिक रास्ते की रिपोर्ट के साथ रिपोर्ट तैयार करवायी जाने हेतु निवेदन किया। निवेदन स्वीकार किया जाकर पुनः रास्ता रिपोर्ट तहसीलदार नैनवां से तलब की गई। जिसकी पालना में तहसीलदार नैनवां ने पत्रांक 1029 दिनांक 12.05.2022 प्रस्तुत की, जिसके अनुसारः–

प्रस्तावित रास्ताः–

1. यह है कि खसरा नम्बर 2274 पर जाने के लिए रास्ता रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है अतः निम्न प्रकार रास्ता प्रस्तावित हैः–

ख0नं0	किस्म	माप(ल0 चौ0)
2275	बा.तृ.	50 गट्ठा 1 गट्ठा = 50 वर्ग गट्ठा अर्थात् 2178 वर्गफीट
2276	बा.तृ.	50 गट्ठा 1 गट्ठा = 50 वर्ग गट्ठा अर्थात् 2178 वर्गफीट
2277	बंजड़ (सिवायचक)	60 गट्ठा 2 गट्ठा = 120 वर्ग गट्ठा अर्थात् 2257.2 वर्गफीट
		कुल = 9583.2 वर्गफीट

इस प्रकार प्रार्थी को प्रस्तावित रास्ते हेतु 11 बिस्वा भूमि की आवश्यकता होगी (नक्शा ट्रेस संलग्न है।)

वैकल्पिक रास्ताः–

1. प्रार्थी को उपरोक्त खसरा नम्बर 2274 पर जाने के लिए निकटतम वैकल्पिक रास्ता मौके पर उपलब्ध नहीं है परन्तु श्रीमान् के आदेशानुसार प्रार्थी के खसरा नम्बर 2274 की दक्षिणी मेड पर स्थित खसरा नम्बर 2259 जो प्रार्थी का खेत है, इस खेत से (ख0नं0 2259) रिकॉर्ड में दर्ज गै0मु0 रास्ता (माल में जाने हेतु) तक वैकल्पिक रास्ते का प्रस्ताव, वैकल्पिक रास्ते के रूप में तैयार किया गया जो निम्नानुसार हैः–

ख0नं0	किस्म	माप (ल0 चौ0)
2160	बा.तृ.	34 गट्ठा 1 गट्ठा = 34 वर्ग गट्ठा अर्थात 1481.04 वर्गफीट
2161	बा.तृ.	16 गट्ठा 1 गट्ठा = 16 वर्ग गट्ठा अर्थात 696.96 वर्गफीट
2163	बा.तृ.	50 गट्ठा 1 गट्ठा = 50 वर्ग गट्ठा अर्थात 2178.00 वर्गफीट
2162	सिवायचक लगानी	32 गट्ठा 2 गट्ठा =64 वर्ग गट्ठा या 2787.84 वर्गफीट
2581/2165	बिलालगानी	60 गट्ठा 2 गट्ठा=120 वर्ग गट्ठा या 5227.20 वर्गफीट
2165	बंजड	80 गट्ठा 2 गट्ठा = 160 वर्ग गट्ठा अर्थात 6969.60 वर्गफीट
2167	बा0प्र0	40 गट्ठा 2 गट्ठा = 80 वर्ग गट्ठा अर्थात 3484.80 वर्गफीट
		कुल = 22825.44 वर्गफीट

Signature Not Verified
Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2023.06.28 16:26:51 IST
Reason: SelfAttested

यह है कि मौके पर खसरा नम्बर 2581/2165 ... सिवायचक ... में खलीनुमा है जिसे वर्षा ऋतु को छोड़कर अन्य मौसम में आने जाने ... लेते हैं। ... कि मौका रिपोर्ट अप्रार्थी की उपस्थिति में तैयार की गयी। यह है कि नक्शा ट्रेस 2 प्रतियों में संलग्न है।

तहसीलदार नैनवां की रिपोर्ट क्रमांक 3647 दिनांक 28...2022 प्रेषित कर वैकल्पिक रास्ते के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करते हुए निवेदन किया कि मौके पर वैकल्पिक रास्ता मौजूद है। परन्तु वर्षा के समय उक्त वैकल्पिक रास्ता खलीनुमा होने से बन्द हो जाता है। रिकार्ड में कोई रास्ता अंकित नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवा (बूंदी)

हमने प्रार्थना पत्र शपथ-पत्र व प्रस्तुत साक्ष्य रिकॉर्ड जमाबन्दी व रास्ते के सम्बंध में तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया। बहस वकील पक्षकारान सुनी गई। माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय कोटा के निर्देशों की अनुपालना में अपीलान्ट को सुनवाई तथा साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने हेतु समुचित अवसर दिये गए। वकील उभयपक्षकारान की तहसीलदार नैनवां से प्राप्त रास्ता रिपोर्ट क्रमांक 1029 पर बहस सुनी गई। बहस में वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि वैकल्पिक रास्ता अत्यधिक लम्बा है एवं बारिश के मौसम में बन्द रहता है। वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि तहसीलदार नैनवां ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा है कि वैकल्पिक रास्ता मौके पर मौजूद है। दौराने बहस उपस्थित तहसीलदार ने अपनी बहस में निवेदन किया कि मौके पर वैकल्पिक रास्ता मौजूद है परन्तु वर्षा के समय उक्त प्रस्तावित वैकल्पिक रास्ता खलीनुमा होने से बन्द हो जाता है। वकील उभयपक्षकारान द्वारा दिये गए तर्कों को ध्यानपूर्वक सुना एवं मनन किया गया। तहसीलदार नैनवा की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि प्रस्तावित रास्ते में कुल 9583.2 वर्गफीट भूमि उपयोग में आयेगी, तथा वैकल्पिक प्रस्तावित रास्ते में कुल 22825.44 वर्गफीट भूमि उपयोग में आयेगी। अतः प्रस्तावित रास्ता निकटतम है। साथ ही तहसीलदार नैनवां की रिपोर्ट से यह भी स्पष्ट है कि वैकल्पिक रास्ता वर्षा के समय बन्द रहता है, जो सुगम नहीं है। न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि प्रार्थी को उसके खातेदारी के खेत पर पहुंचने के लिए वह रास्ता दिया जाना न्यायोचित है जो बारह मासी चालू रहे तथा निकटतम भी हो। अतः प्रार्थी की कृषि भूमि खसरा संख्या 2274 रकबा 7 बीघा 16 बिस्वा भूमि पर पहुंचने हेतु निम्नानुसार रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है-

ख0नं0	किस्म	माप (ल0 चौ0)
2275	[illegible]	50 गट्ठा 1 गट्ठा = 50 वर्ग गट्ठा अर्थात् 2178 वर्गफीट
2276	[illegible]	50 गट्ठा 1 गट्ठा = 50 वर्ग गट्ठा अर्थात् 2178 वर्गफीट
2277	[illegible]	60 गट्ठा 2 गट्ठा = 120 वर्ग गट्ठा अर्थात् 2257.2 वर्गफीट
	(सिवायचक)	कुल = 9583.2 वर्गफीट

इस प्रकार प्रस्तावित रास्ते हेतु 11 बिस्वा भूमि प्रस्तावित रास्ता नक्शा ट्रेश, जिसे परिशिष्ट-"क" नाम दिया गया है, जो इस न्यायालय निर्णय का अंग होगा, के अनुसार रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में नियमानुसार प्रतिकर राजकोष में जमा होने के उपरांत दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार नैनवा को आदेशित किया जाता है कि मौके पर प्रार्थी का रास्ता बहाल करें।

निर्णय आज दिनांक 04.01.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बूंदी)

उपखण्ड अधिकारी नैनवां (बूंदी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2023.06.28 16:26:51 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी

तहसील नैनवा
जिला बून्दी

परिशिष्ट "क"

विषय :- वाद पत्र संख्या
निर्णय दिनांक

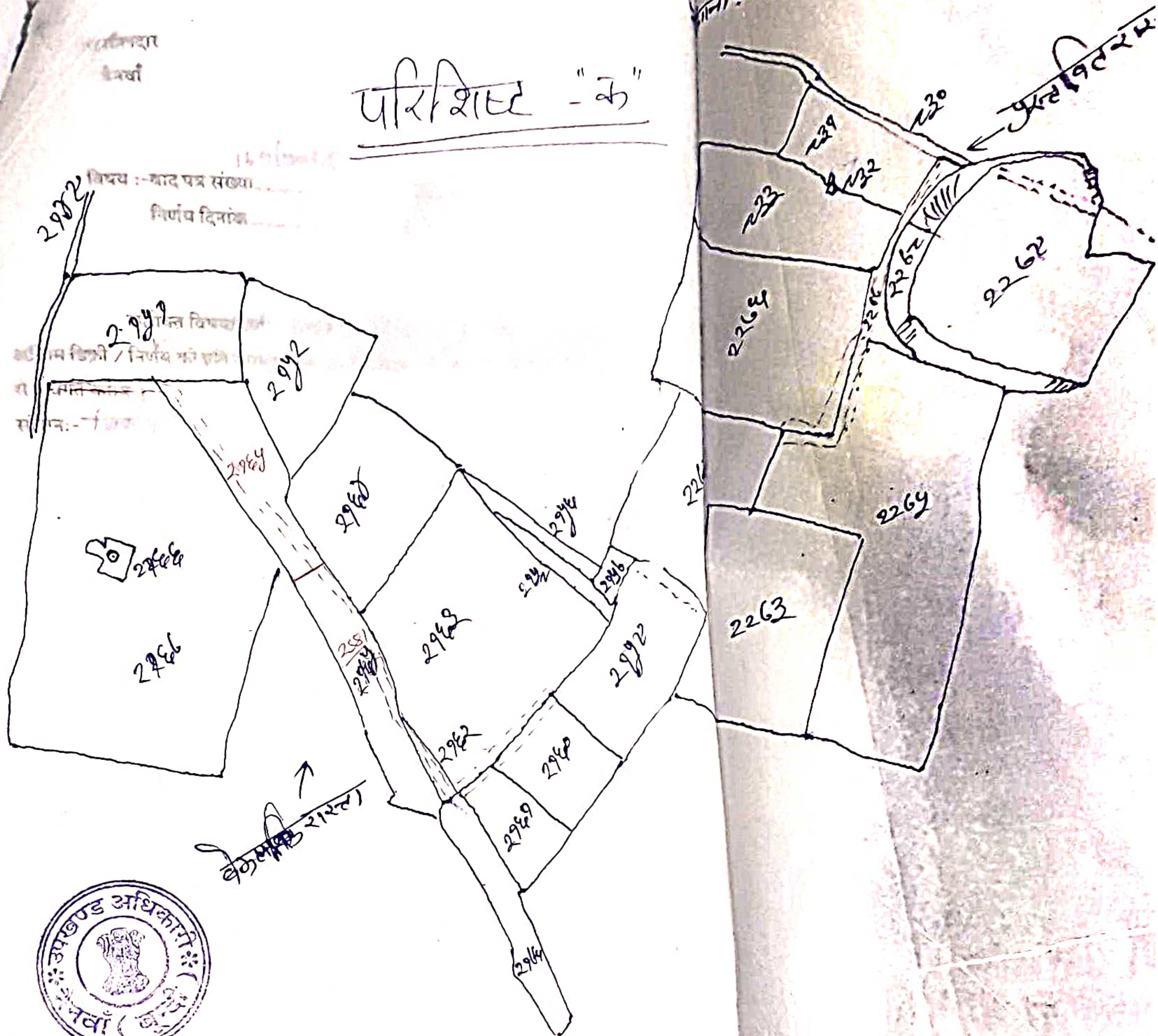

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2023.06.28 16:26:51 IST
Reason: SelfAttested